न्यायालयः—भूपेन्द्र तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खनियाधाना, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

Registration No. 523/2022
Filling No. RCT/ 1192/2022
CNR N0. MP 3306-00012552022
Filing Date- 12-10-2022

(//निर्णय//)

(आज दिनांक 22.12.2023 को घोषित)

1. अभियुक्त **विजयराम पुत्र गजराज यादव, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम पिपरौदा उबारी, थाना मायापुर, जिला शिवपुरी** के विरूद्ध थाना खनियाधाना के अपराध क्रमांक 329/2022 अंतर्गत धारा 188 भा.दं.सं. एवं सहपठित धारा 15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का आरोप है।

2. अभियोजन मामले के अनुसार अभियुक्त द्वारा दिनांक 14.06.2022 को रात करीब 09:30 बजे, घटनास्थल पनिहारा आम रोड़ अंतर्गत थाना खनियाधाना में तेज आवाज में फोर व्हीलर गाड़ी पर डी.जे. साउंड जो कि ध्वनि विस्तारक यंत्र है, को बिना वैध अनुमति के जिला कलेक्टर शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2022 के उल्लंघन में तेज आवाज में बजाया गया।

3. अभियुक्त द्वारा धारा 294 दं.प्र.सं. के अंतर्गत आवेदन पेश कर स्वेच्छया अपराध करना स्वीकार किया है। अभियुक्त की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। अतः अपराध की स्वेच्छिक स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 188 भा.दं.सं. एवं सहपठित धारा 15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अपराध हेतु दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

4. कारित अपराध की प्रकृति व स्वरूप को देखते हुये अभियुक्त परिवीक्षा का पात्र नहीं है।

5. अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं है। अतः अभियुक्त को धारा 188 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/—(पांच रूपये मात्र) के अर्थदण्ड तथा सहपठित धारा 15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/—(पांच रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यक्तिक्रम पर 07—07 दिवस का सादा कारावास पृथक से भुगताया जावे।

6. प्रकरण में जब्ती पत्रक अनुसार जब्तशुदा संपत्ति छोटा हाथी न्यू इंद्रा व्ही. 30 इंजन नं 15CRAIL05AXXS11268 मय डी.जे. सिस्टम पूर्व से सुपुर्दगीदार दीपक केवट की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त हो जायेगा। अपील होने की दशा में जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

स्थान :—खनियाधाना, जिला शिवपुरी

दिनांक :— 22.12.2023

(भूपेन्द्र तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खनियाधाना जिला शिवपुरी (म0प्र0)